राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1945/2011/झुन्झुनू
2. अपील संख्या 1946/2011/झुन्झुनू

1. मैसर्स रत्नाम्बरी स्टोन क्रशर उद्योग, मोडा पहाड़, झुन्झुनू ....अपीलार्थी
2. मैसर्स बालाजी स्टोन क्रशर कम्पनी, मोडा पहाड़, झुन्झुनू ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–झुन्झुनू। ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23/02/2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 7 एवं 5/आरवैट/झुन्झुनू/10–11 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत झुन्झुनू (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 के जरिये निम्नांकित सारणी में कायम मांग राशियों की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	आई.टी.सी.	कुल मांग राशि
1945/11	2007–08	24,766	6,439	54,102	85,307
1946/11	2007–08	37,960	9,870	–	47,830

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में Stone Crusher से प्राप्त residual stone dust की बिक्री की गयी है जिस पर अपीलार्थी ने इस बिक्री को बजरी की बिक्री घोषित करते हुए वैट 6/– प्रति टन से वजन पर कर चुकाया है। अपीलार्थी ग्रिट, स्टोन डस्ट, स्टोन ब्लास्ट का निर्माता है। सशक्त अधिकारी ने इस बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से करदेयता निर्धारित करते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं आई.टी.सी. आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

निरन्तर...................2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ग्रिट, स्टोन डस्ट, स्टोन ब्लास्ट का निर्माता है उसके द्वारा पत्थर की क्रसिंग कर उससे ब्लास्ट, ग्रिट व स्टोन डस्ट का निर्माण किया जाता है। यह स्टोन डस्ट प्राकृतिक बजरी के विकल्प के रूप में काम में ली जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की अवधि में कर संग्रहण का ठेका सम्बन्धित ठेकेदार को दिया गया था जिसके अन्तर्गत ठेकेदार को कर संग्रहण करने हेतु बजरी/स्टोन डस्ट पर कर की दर निर्धारण करके दिया गया था। विभाग द्वारा 6/– रूपये प्रति टन कर दर निर्धारित की थी। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि स्टोन डस्ट भी बजरी ही है जिसका उपयोग बजरी के रूप में ही होता है, जो मकान निर्माण हेतु चिनाई, लिपाई, प्लास्टर आदि के कामों में प्रयोग की जाती है तथा मात्र निर्माण प्रक्रिया भिन्न होने से वस्तु पर कर की दर नहीं बदली जा सकती है अथवा उसको अन्य वस्तु नहीं माना जा सकता है। अतः इस पर 6/– रूपये प्रति टन के हिसाब से ही देय बनता है लेकिन सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण में स्टोन डस्ट पर वैट @12.5 प्रतिशत से निर्धारित किया है, जो कि अविधिक है।
5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2062/2011 निर्णय दिनांक 08.03.2013 एवं अपील संख्या 2384/2011/झुन्झुनू मैसर्स शिव स्टोन क्रशर, झुन्झुनू निर्णय दिनांक 09.02.2018 को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 2062/2011/झुन्झुनू मैसर्स शिव स्टोन क्रशर उद्योग, झुन्झुनू बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड प्रथम, झुन्झुनू निर्णय दिनांक 08.03.2013, से पूर्णतया आच्छादित है, जिसमें स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः उक्त निर्णय के आलोक में अपीलार्थी द्वारा विक्रीत स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण विधिसम्मत पाये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।
7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
8. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

23/02/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य